

चयनित गैर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में
प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम—जुगैल, अगोरी, तहसील—ओबरा, जनपद सोनभद्र के आराजी गाता संख्या 5380खमि रकवा 2.4353 हे0, 5381मि रकवा 0.3461 हे0, 5382कमि रकवा 10.9227, 5384 रकवा 0.5411 हे0, 5385ख रकवा 1.3218 हे0 कुल रकवा 15.5670 हे0 गैर वन भूमि चयनित किया गया है। वर्तमान में चयनित गैर वन भूमि में अस्थायी घास—फूस की झोपड़ी बना हुआ है तथा मक्का, तिल, अरहर इत्यादि की खेती किया हुआ है। प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।

(प्राधिकृति हस्ताक्षरकर्ता)

पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र

प्रतिहरताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा—सोनभद्र

कार्यालय उपनिबंधक सदर राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र

आवेदन संख्या : 2202333403944

प्रमाण संख्या : 22023334003928

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- संतोष कुमार पाण्डेय एडवोकेट पुत्र- ० तहसील राबर्टसगंज जिला सोनभद्र ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
सम्पत्ति का ग्राम मोहल्ला - जोगईल, वार्ड/परगना- अगोरी, कृषि- जंगल व पहाड़ खाता, आ०नं०-5380खमि, 5381कि382कमि, 5384
विवरण : व 5385ख मौजा-जोगईल, परगना-अगोरी, ओबरा, जनपद-सोनभद्र, आ०नं०-5380खमि वगैरह
मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2012 से दिनांक 17/08/2023 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक : 18-08-2023

1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वर्णित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वतः का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक : सिद्धार्थ सिंह निबन्धन लिपिक।
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : सिद्धार्थ सिंह निबन्धन लिपिक।

ANAND
KUMAR
SHUKLA
Digitally signed
by ANAND
KUMAR SHUKLA
Date: 2023.08.18
18:05:11 +05'30'

उपनिबन्धक सदर
सोनभद्र



Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra



उद्धरण क्रमांक : 22060720230858

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 220607	ग्राम का नाम / परगना : जोगईल(अगोरी)	तहसील : ओबरा	जनापद : सोनभद्र	फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)	भाग : 1
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान
1	2	3	4	5	6
7-12	13				

03200 पहाड़ /

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

5	0.1450	
59ग	0.1260	
67क	0.2530	
82	0.7210	
176ख	0.1260	
177	0.1450	
178	0.8220	
181	3.8320	
192	0.9540	
210घ	0.3290	
246	1.0950	
247	0.8470	
297ग	0.1390	
390	0.0310	
461क	4.9440	
544ख	1.0120	
545ग	0.1640	
572ख	0.1010	
631ख	0.4930	
643क	0.1640	
738ख	1.5550	
740ख	0.3920	
745क	0.0630	

(प्रपत्र नौ के अनुसार 7000ख के सम्बन्ध में) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के याचिका संख्या 28226/1995 दि० 12-10-1995 रामेश्वर आदि बनाम राज्य सरकार द्वारा आदेश हुआ कि निर्धारित समय की समाप्ति तक इस बीच अगर वादी का कब्जा है तो वादी का विवादित भूमि से उसे बेदखल न किया जाया। ह०अ० 22-10-13

शासनदेश सं०258(1) 16-73-स-1 दिनांक 16-06-1981 का अधिकार परिष्कार करते हुए उ०प्र०रा०संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा -59 की उप धारा -4 के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र०रा०संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं वद्वर विजय सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम जोगईल परगना अगोरी तहसील ओबरा सोनभद्र के गाटा सं० 6749 रकबा 28.3280 हे० में से रकबा 15.567 हे० श्रेणी-6-4 पहाड़ जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्निहित भूमि का उपयोग स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु किया जाएगा यदि किसी कारणवश पुनर्निहित भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत गाँवसभा में सौंपित हो जायेगी। ह०र०का० 17-01-2023

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra



2848₹	0.2280
2900	0.4550
2927	0.0630
3121₹	0.1140
3605₹	0.1770
3690₹	0.2400
3735₹	3.2250
3751	0.2850
3753	0.0190
3754	0.8090
3787	1.9600
3792	0.2400
3976₹	0.1260
4308	0.2400
4383₹	0.4050
4405	0.0510
4406₹	0.1390
4474₹	1.5170
4477₹	5.6270
4479₹	0.1390
4871₹	38.3050
5380₹	8.1820
5381	0.9920
5382₹	12.1400
5383	0.0190
5384	0.9920
5385₹	1.4540
5386	0.4990
5387₹	0.2530
5402₹	1.7580
6028₹	0.4170
6151	0.2210
6203	2.2250
6232₹	2.9090
6280	2.0610

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

